(3)

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR DISTRICT TEHRI GARHWAL (UTTARAKHAND)

Proceeding of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA) 2006.

A meeting of the District Level Committee Tehri Garhwal District. Constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of ant. The Nitron I.A.S. District Collector Tehri Garhwal at New Tehri in which the applicant claiming rights in *Devprayag* Block area measuring 1.746 Hectares for the construction of *Chapoli, Takoli to Bhainswadi via Chamogi Motor Road* in Tehsil *Devprayag* of forest land under FRA 2006 of the following applicant duly processed and recommend by the Sub Division Level Committee of *Devprayag* Sub Division where discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions no objection/claims were found to have been made and hence District Level Committee recommended the above case for diversion for land for the said purpose.

Place:- Tehri

Date- 18/12/2015

(ज्योति नीच्न खेरवान)
District Collector cum Chairman
District Tehringarhwal
New Tehri



FORM-I

(For linear Projects)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Tehri garhwal

No. 927 | 7701-98(2015-16) Deted ... 18. 17.11.1.295

TO WHOMSOEYER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forest (MoEF), Government of India letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEFs letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 1.746 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of P.W.D. Kirtinagar, Uttarakhand for Construction of Chapoli, Takoli to Bhainswadi via Chamogi Motor Road in Tehri District falls within jurisdiction of Capoli, Takoli, Chamogi & Bhainswadi Village(s) in Devprayag tehsils.

It is further certified that:

- a) the complete process for identification and settlement of right under it FRA has been carried out for the entire 1.746 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the forest Rights Committees, Gram Sabha, Sub Division Level Committees and the District Level Committee are enclosed as annexure 23 to annexure 23.2
- b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given their consent to it.
- c) the proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities.

Encl: As above

District Connector
Teller Guriawal

It is further certified that-

Minutes of meeting of Chapoli, Takoli to Bhainswadi via Chamogi Motor Road (4 Km) regarding FRA is as following

SI. No		Remarks
(a)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.746 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the forest rights committee(s). Gram Sabha(s) Sub-Division Level Committee is enclosed as annexure to annexure.	Yes copy of record attached as there are no habitants belonging to schedules tribes and other traditional forest Dwellers.
(b)	The Division of Forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA has been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.	Yes copy of record attached as there are no habitants belonging to schedules tribes and other traditional forest Dwellers. No objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road as attached.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Preagricultural communities.	Yes copy of record attached as there are no habitants belonging to schedules tribes and other traditional forest Dwellers.

जिला पंचायुत् सदस्य विहरी गढ़वाल

39 वामणी — प्रलेठी बनः विकास खण्ड - देवण

टिहरी गढ़वाल, उपार

जिला समाज कल्याण अधिकारी जिला स्दिहरी सद्याल अधिकारी

प्रभागीय वनाधिकारी टिहरी वन प्रभाग, टिहरी गढ़वाल

प्रभागीय वनाधिकारी टिहरी वन प्रभाग

(ज्योति नीरजे खैरवाल) जिल्लाशिकारो री

परियोजना का नाम :- जनपद रिट्टी के बिलानसमा क्रिम्न देनप्रभाग के अतात नाम से स्कास्त्री - नमोजी हाते हुपे अस्वाड़ी तक मोट कार्म निम्मल प्रथम नार्गा अस्वाड़ी

कार्यालय उप जिलाधिकारी, किल्लाह्य अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय सिमित, किंगिता परिक्षेत्र के अन्तर्गत ज्यान्ती से टकी के जारिक्षित के अन्तर्गत ज्यान्ती से टकी के जारिक्षित वन भूमि, किंगिता कि

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री की के स्तर्रा निर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानसार है।

1- श्री दीपुन्द्रासिंह नेजी	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष
2- श्री वी के सिंह	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य
3- 8/ 10/21/6 (3/10)	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य/सचिव
4- Al TEMOLITYE	बी0डी0सी0 क्षेत्र	सदस्य

संबन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी, राज्यों हो उपान्नाप्रभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मित से उपखण्ड क्लिटिना परिक्षेत्र के अन्तर्गत क्यों से टक्कि के क्लिटिना से टकिटिना परियोजना के निर्माण हेतु के 746. हे० वन भूम की को जनहित में सक्षम

प्राधिकारी से अनुमित प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमित व्यक्त की गयी।

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, विट्री गढवाला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अक्ष्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति तहसील— <u>देन प्रभाग</u> जनपद <u>रिस्त</u>ी गढिलाल



परियोजना का नाम: - जनपद हिंही के बियान सभा दीका क्षेप्रणा के अत्यात का नाम क्या के कियान सभा दीका कि अस्वादी तक भीर भाग निर्माण (प्रधान न्यरंग) 1

1	दीवाद् किंह नेजी	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष /
2	वी.के.चिंह	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य उप प्रभागीय वनाधिकारी प्रभागीय वनाधिकारी प्रभाग
3 -	िनो व्यक्तार १ किया ।	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य/सचिव
4	Fanaz The	बी०डी०सी० क्षेत्र	सदस्य वित्व सिंह सदस्य लेक्क पंचायत- चमोली विश्व देवप्रयोग, (दिश्य)

प्रपत्र-30.3

परियोजना का नाम :- जनपढ़ हिंही के विधानस्था क्षेत्र देवप्रमां। के अत्मात चूपोली से टकोली - जनोंगी होते हुपे भेंस्वाड़ी तक मोटर मार्ग का निर्माण (प्रवास चरणा) लक्षार साळाकिमी

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत् अन्नापत्ति प्रमाण-पत्र ग्राम पंचायत का नाम न्वपाली तहसील देव प्रमाम, जिला टिट्री महवाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र उत्तराखण्ड में जनपद टिट्टेरी गढ़वाल के अन्तर्गत -चपोली से टकोली - चकारेर हाते हुछे भेरवाड़ी तक मारेर भाग परियोजना के निर्माण हेतु (- हे) आरक्षित वन भूमि, 1.746 है0 सिविल सोयम भूमि, है0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 1.746 है0 वन भूमि का लो को कि की ति नाइ विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत _______ द्वारा दिनांक _______ 19/0.8/2015 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अविदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। • उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सूर्वस्मिति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम विपोली, चुमारी सर्व भेरवाड़ी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

विकास खण्ड

60/-ग्राम सचिव

Or .

ग्राम पंचायत विकास अविचारी ग्राम पचायत

नेट - यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो वद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उन्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता रजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र-30.4

	त्राप पपापरा	हस्ताक्षर
क्मांक	ग्राम समा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	Atout
		allesias
2	3216 168 260-	3012 CV18
3	Pauler (220116 & 401()	Ryan
4	- गर्मन लिल	GA
	Same? Will	+131
5	1119	JOH min
B	राज्यम लाला सिंह विदे	Yest pal
7	92.110	Tay par
8	a-11016 28(2017/02/10
9	रतनायह वापा	564 9515
	उन्ते । पह	3769 51718
10	016 106	EX 1418
17	191019 108	BHIDHE
12	1 0 0	2 10/2/ 12/21
13	गिटायर मिस्स	
14	海 ma 200 加州 上海中 200 加州 上海	THE WARRY OF THE STATE OF
15		51 SERVED
16	ाश्रीकि स्थान भी देखा का रहा है।	
17		
18		
19		
20		
2	1	,
2.		
2		
2		

* हैं। ग्राम प्रधान वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र ग्राम पंचायत का नाम क्लिकी (तोक टक्ति) तहसील देवपुर्यात्रा जिला टिटरी ग्राध्याल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद हिस्सी ग्रह्माला के अन्तर्गत न्यणाली से ट्योली - यमोगी होते

इ.८ श्रेस्वाडी तक भीटर आर्थी परियोजना के निर्माण हेतु (— हे० आरक्षित वन भूमि, ! '746 हे० सिविल सोयम भूमि, — हे० वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल ! '146 हे० वन भूमि का लेक निर्णा के कि की लिनेशर विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कर्ने लिए (तोड स्मेल) द्वारा दिनांक .!१/०८/३०।5 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापित प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। अधिकारी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। अधवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मित से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम लिया निर्णा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि हेतु दिये जाने पर कोई आपित नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

मान संस्थित अधिकारी (देशका) गाम संस्थित (टि०म०)

ह0/- प्रम पंचायत नन्दार ग्राम प्रधानविकास खण्ड देवप्रयाग

नोट :- • यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र—23.1 दिनांक 19/08/2015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति ग्राम पंचायत जन्दोली (तीन टनोजी)

	शान पंचायतलादाला	(वान दमावा)
	उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
0 कल्पान	195	- sig
क र्यम वि	= 2101	5441515
3 मेह्रार	DE.	THE POST
4 Houpit	39	4th on Dd
3 9500	E	राजेन्द्र सिंह
कि गोर्डि	MAN .	a enk
शि अग्रावस्त	किंह जी बिद्धान	2119066161
का कितार		H2191785
व गाविद	, किष्ट	जाप क्टि
(10) भगवाना	165	अनि।वादान
D उमेदा ७६		371140
10 chmonte		4010108
(B) 185141		VIJAYSINA
कि हानासिह		Shansingh
15 21710E		शमार्केट
कि नागवड़		0112121WE
क इलेन।	30	2019/82
	ETETICA -	
	了。""我们的"。"	
	The Payon State	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	,	

ह0/- प्रधान प्र विकास खण्ड हेल्प्रयाग .

श्लीमान आधिशापी सामे पन्ता ्रांबन्धिक । सहका विकिश् क्रिकार जनपद हिंहरी जहवाला उत्यख्न

विषय: - न्योली से टकीली न्यमीशी हैं। हर में खाडी एक में स्-- मार्ज निर्माता के सम्बन्ध में।

मर्छ६ए निवेदन है मि -वर्षेली स ट्योली चमें के हर अस्वाड़ी तक मीटर मार्म के नवानिर्माण हैंड हाम बन्न नन्दोली (तीन टकीली) हारा कोई की आपाले नहें।

विकास खण्ड देवप्रधाग ।

(1) apartol xy E - - 2)

(क) रतनामेह — गतनायां द अभेरामिह — ने (16) (क) मनानिह — भेता/न्य ह

< याजेन्डि — राजेन्द्र सिंहें

@ गोविदलाल — गाविन्दलाल

7 अगवानाव्ह - अगवार रिष्ट

ग्राम पंचार्यत विका ग्राम पंचायत 🛶 कास खण्ड देवप्रयोग (टि०ग०)